मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल –462004.

—::आदेश::—

भोपाल दिनांक– 12/12/2013

क्रमांक एफ –12–01/11/54–1 राज्यशासन एतद द्वारा पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिये पिछड़ा वर्ग मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति विनियम 01 जुलाई–2003 के स्थान पर पिछड़ा वर्ग मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना को शासित करने वाले संशोधित विनियम 2013 प्रतिस्थापित किये जाते है।

1. उद्धेश्य :

इस योजना का उद्धेश्य भारत में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले मध्यप्रदेश राज्य के पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपनी शिक्षा पूरी करने में समर्थ हो सकें।

2. व्याप्ति (क्षेत्र) :

ये छात्रवृत्तियां भारत में अध्ययन करने के लिए पिछड़ा वर्ग के उन छात्र/छात्राओं को देय होगी जो मध्यप्रदेश राज्य के वास्तविक निवासी हो अर्थात् वे यहां स्थाई रूप से रहने लगे हों।

3. पात्रता की शर्तें :

3.1 ये छात्रवृत्तियां मध्यप्रदेश में वास्तविक रूप से स्थाई निवास करने वाले उन छात्र/छात्राओं को जो कि मध्यप्रदेश राज्य द्वारा घोषित पिछड़ा वर्ग के हों, देय होगी। मध्यप्रदेश राज्य द्वारा घोषित पिछड़ा वर्ग की सूची (सहपत्र–एक) संलग्न है। जिले के सहायक संचालक पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृति के दौरान इस आशय का स्पष्ट प्रमाण पत्र संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा।

3.2 छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए संबंधित विद्यार्थी की संबंधित शिक्षण संस्था में 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। इस आशय का प्राचार्य को स्पष्ट प्रमाणपत्र भी संस्था को संबंधित जिले के सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। छात्रवृत्ति का वितरण आनलाइन, सही पात्रता के आधार पर ही की जावेगी।

3.3 छात्रों के प्रवेश के संबंध में अंतिम समय सीमा प्रतिवर्ष 15 दिसंबर तक निर्धारित होगी। इस अवधि तक प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्रों को ही शैक्षणिक शुल्क

विद्यार्थियों के मामले में जिनके माता–पिता/अभिभावक की आय सभी स्त्रोंतो से भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निर्धारित रूपये 75000/– वार्षिक से अधिक न हो

4.2 "4.1" को छोड़कर अन्य सभी समूहों एवं समूह '1' के शेष पाठ्यक्रमों के लिए उन विद्यार्थियों के मामले में जिनके माता–पिता/अभिभावक की आय सभी स्त्रोंतो से रूपये 75000/– वार्षिक से अधिक न हो– – पूरा अनुरक्षण भत्ता तथा पूरी फीस।

4.3 उन छात्रों के मामले में जिनके माता–पिता/अभिभावक की आय सभी स्त्रोंतो से रूपये 75000/– वार्षिक से अधिक हो – कोई छात्रवृत्ति नहीं।

टीप :–(एक) जब माता–पिता में से कोई एक (या विवाहित बेरोजगार छात्रा के मामले में पति) जीवित हों, तो केवल माता–पिता/पति (यथा–स्थिति) की सभी स्त्रोंतों से आय ही ली जानी चाहिए न कि अन्य सदस्यों की आय, भले ही वे कमा रहे हो। आय की घोषणा वाले फार्म में आय इसी आधार पर घोषित की जानी चाहिए। केवल ऐसे मामलों में जहाँ माता–पिता दोनों (अथवा बेरोजगार विवाहित छात्रा के मामले में पति) मर चुके हो, तब उस अभिभावक की आय को लेना होगा जो विद्यार्थी के अध्ययन में सहायता कर रहा है। ऐसे विद्यार्थी जिनके माता–पिता की आय दुर्भाग्यवश किसी एक की मृत्यु के कारण प्रभावित होती है और इस प्रकार इस योजना के अंतर्गत निर्धारित आय सीमा में आ जाती है तो ऐसे दुखद घटना के होने वाले महिने से वह छात्रवृत्ति के पात्र बन जावेगें बशर्ते कि वे पात्रता की अन्य शर्त पूरी करते हो। ऐसे विद्यार्थियों से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन अनुकंपा के आधार पर, आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के समाप्त होने के बाद भी विचार किए जा सकते है।

टीप :–(दो) किसी विद्यार्थी के माता–पिता द्वारा प्राप्त किये जाने वाले गृहभाड़ा भत्ते की "आय" में शामिल नहीं किया जावेगा बशर्ते उसे आयकर के प्रयोजन के लिए छूट दी गई हो।

टीप :–(तीन) किसी विद्यार्थी से आय प्रमाण–पत्र केवल एक बार ही मांगा जावेगा अर्थात (किसी पाठ्यक्रम में जो एक वर्ष से अधिक अवधि का हो, में दाखिला लेते समय)

5. <u>छात्रवृत्ति की रकम</u> :

छात्रवृत्ति की रकम में अनुरक्षण व्यय, फीस तथा अनुमोदित अध्ययन दौरे तथा शोध प्रबंध के मुद्रलेखन तथा मुद्रण पर होने वाले व्यय शामिल है। जिनके ब्यौरे नीचे दिये गये है :–

5.1 अनुरक्षण भत्ता :

अनु.	समूह	भरण पोषण भत्ते की दर (रु प्रति माह) राशि रुपए			
		छात्रावास में रहने वाले		छात्रावास में न रहने वाले	
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
1	2	3	4	5	6
	समूह– 1 चिकित्सा (एलोपैथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियां), इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, कृषि पशुचिकित्सा तथा संबद्ध विज्ञान, प्रबंधन, बिजनेस वित्त, बिजनेस प्रशासन तथा कम्प्यूटर प्रयोग/विज्ञान में डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के पाठ्यक्रम (एम.फिल, पी.एच.डी. तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान सहित वाणिज्यिक पायलट लायसेंस) (हेलीकाप्टर पायलट और मल्टी इंजिन रेटिंग्स सहित) पाठ्यक्रम	425 425	425 425	190 190	190 190
	समूह– 2 अन्य व्यावसायिक तथा तकनीकी स्नातक तथा स्नातकोत्तर (एम. फिल, पीएचडी) तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान सहित) स्तरीय पाठ्यक्रम जो समूह–1 में सम्मिलित नहीं हैं। सभी स्नातकोत्तर, स्नातक स्तर के डिप्लोमा पाठ्यक्रम, सभी प्रमाणपत्र स्तर के पाठ्यक्रम।	210 210	220 225	100 100	110 115
	समूह– 3 स्नातक तथा उससे अधिक की डिग्री के सभी अन्य पाठ्यक्रम (जो समूह–1 और 2 में सम्मिलित नहीं है)	185 185	195 200	100 100	110 115
	समूह– 4 ग्रेजुएशन करने से पूर्व के सभी	185 185	195 200	100 100	110 115

	मेट्रिकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम जैसे 10+2 प्रणाली में कक्षा 11 तथा 12 और इंटरमेडिएट परीक्षा आदि जो "समूह–2" और "समूह–3" में सम्मिलित नहीं है। आई.टी.आई. पाठ्यक्रम, अन्य व्यावसायिक (यदि पढाई करने के लिए न्यूनतम अपेक्षित अर्हता कम से कम मेट्रिकुलेशन हो)।				

टीप : 1. व्यावसायिक पायलट लाइसेंस पाठ्यक्रम

व्यावसायिक पायलट लाइसेंस पाठ्यक्रम समूह '2' के अंतर्गत शामिल है। यह घोषणा की गई है कि वर्ष 1994–95 से व्यावसायिक पायलट लाइसेंस के लिए पुरस्कारों की संख्या प्रतिवर्ष 20 है । संबंधित छात्रों, से आवेदन प्राप्त होने के फलस्वरूप संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इस योजना के अंतर्गत उनकी पात्रता निश्चित करने के लिए जांच करेगा तथा उसके बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को प्रत्येक वित्तीय वर्ष व्यावसायिक पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण के लिये पात्र उम्मीदवारों की संख्या (उनके नाम सहित) सूचित करेगा। आवेदन मंत्रालय को स्वयं नहीं भेजे जाएं। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली पूरे देश के लिए 20 पुरस्कार तक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्पष्ट करेगा।

चयनित उम्मीदवारों को होस्टल में रहने वालों को रूपये 290/– प्रतिमाह तथा दिवा छात्रों को रूपये 190/– प्रतिमाह अनुरक्षण भत्ता प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त उड़ाने प्रभारों सहित, सभी अनिवार्य शुल्कें फीस में प्रदान की जाती हे।

टीप : 2 एम.फिल तथा पी.एच.डी. पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम है। ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान उनके समूहों के अंतर्गत पाठ्यक्रमों के आधार पर समूह '1', '2', '3' के लिए अनुरक्षण भत्ते की दरों पर किया जाता है।

टीप : 3 समान्यतः 'छात्रावास' शब्द का अर्थ है विद्यार्थियों के लिए एक साझा आवासीय भवन तथा साझा भोजनालय जो शैक्षिक संस्था के प्राधिकारियों के पर्यवेक्षण के अधीन चलाया जा रहा हो। कॉलेज छात्रावास में आवास प्रदान करने में कॉलेज प्राधिकारियों के असमर्थ होने की स्थिति में आवास के लिए पिछड़ा वर्ग छात्रगृह योजना अंतर्गत अनुमोदित स्थान को भी इस योजना के अंतर्गत छात्रावास माना जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा स्थान का अनुमोदन किया जाएगा। ऐसे मामलों में इस आशय का प्रमाण–पत्र, कि विद्यार्थी आवास के लिए अनुमोदित स्थान में रह रहा है क्योंकि उसे कॉलेज छात्रावास में जगह नहीं मिली, संस्था के प्रमुख द्वारा किया जाना चाहिए।

टीप : 4 ऐसे विद्यार्थी जो निःशुल्क भोजन और/या निःशुल्क आवास प्राप्त करते है, को छात्रावासियों की दरों का 1/3 अनुरक्षण व्यय दिया जाएगा।

5.2 नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए रीडर प्रभार (नेत्रहीन छात्रवृत्तियां नेत्रहीन विद्यार्थियों को निम्नलिखित अतिरिक्त राशि रीडर प्रभार के रूप में प्रदान की जावेगी।)

समूह	रीडर भत्ता (नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए प्रतिमाह)
समूह 1,2	रूपये 100
समूह 3	रूपये 75
समूह 4	रूपये 50

5.3 फीस :–

विद्यार्थियों को नामांकन/पंजीयन, शिक्षण, खेलकूद, यूनिफार्म, पुस्कालय, पत्र–पत्रिकाएं, चिकित्सा–जांच फीस का तथा शैक्षणिक संस्था या विश्वविद्यालय/मंडल को विद्यार्थी द्वारा अनिवार्य रूप से दी जाने वाली ऐसी अन्य फीस का भुगतान किया जाएगा, परन्तु इसमें अवधान राशि, प्रतिभूति जमा जैसी वापसी योग्य जमा रकम में शामिल नहीं होगी एवं यह फीस उसी सीमा तक देय होगी जो किसी शासकीय संस्था में उसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी से ली जाती है। संबंधित शिक्षण संस्थाओं को भी तदाशय की निर्धारित शासकीय फीस के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति की जावेगी।

पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों को पात्रता व स्वीकृति अनुसार देय फीस की राशि का भुगतान विभाग द्वारा संबंधित शिक्षण संस्था को किया जावेगा। अतः किसी भी शिक्षण संस्था को संबंधित जिले के सहायक संचालक के माध्यम से आनलाइन उनके खाते में राशि पश्चात् जमा की जावेगी। पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी की तरह ही कोई शुल्क न लेकर पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिये प्रस्ताव संस्था द्वारा सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा।

5.4 अध्ययन दौरा :–

व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले छात्रों को अध्ययन दौरा व्यय दिया जाएगा जो अधिक से अधिक 500 रूपये प्रतिवर्ष तक तथा रेल/बस किराया, तांगा व्यय आदि पर छात्र द्वारा किये गये वास्तविक व्यय तक सीमित होगा, बशर्ते संस्था–प्रमुख यह प्रमाणित करें कि अध्ययन दौरा छात्र/छात्राओं के अध्ययन पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिये अत्यन्त आवश्यक है।

5.5 शोध प्रबंध के मुद्रलेखन/मुद्रण का व्यय :–

संस्था प्रमुख की सिफारिश पर शोध छात्रों को अधिक से अधिक 600 रूपये तक का मुद्रलेखन/मद्रण व्यय भी दिया जाएगा।

6. उम्मीदवारों का चयनः–

6.1 पिछड़ा वर्ग के समस्त पात्र उम्मीदवारों को विनियम 4 में विहित आय जांच के अध्यधीन छात्रवृत्तियां दी जावेंगी।

6.2 उन उम्मीदवारों को जो एक राज्य से संबंधित हैं किन्तु दूसरे राज्य में अध्ययन कर रहे हैं, उस राज्य द्वारा छात्रवृत्तियां दी जाएगी जिस राज्य के वे हैं तथा वे अपना आवेदन पत्र उसी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेंगें। शुल्कों में छूट तथा अन्य रियायतों के मामले में भी यही समझा जाएगा कि वे अपने ही राज्य में अध्ययन कर रहे हैं।

7. छात्रवृत्ति की अवधि तथा नवीनीकरण:–

7.1 एक बार दी गई छात्रवृत्ति उस समय से , जब वह दी गई, पाठ्यक्रम पूरा होने तक चालू रहेगी। शर्त केवल यह है कि छात्र का आचरण अच्छा रहे तथा उपस्थिति में नियमितता बरती जावें। उसे प्रतिवर्ष नवीनीकृत किया जावेगा, बशर्ते उस पाठ्यक्रम के दौरान जो वर्षों चलना है छात्र को इस तथ्य के बावजूद कि उसे ऐसी छूट विश्वविद्यालय द्वारा या संस्था द्वारा दी जाती है, उच्चतर कक्षा में पदोन्नत कर दिया जाता है।

7.2 यदि कोई पिछड़ा वर्ग का छात्र जो चिकित्सा और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में पढ़ रहा हो, पहली बार परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाए तो छात्रवृत्ति स्वीकृत की जा सकती है। किसी भी कक्षा में दूसरी बार और उसके बाद अनुत्तीर्ण होने पर विद्यार्थी को तब तक अपना खर्च वहन करना होगा जब तक कि वह अगली कक्षा में न चढ़ जाए।

7.3 यदि कोई छात्र बीमारी के कारण वार्षिक परीक्षा में न बैठ सके, तो संस्था के प्रमुख के समाधान एवं चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर और उसके द्वारा यह प्रमाणित करने पर कि यदि छात्र परीक्षा में बैठता तो वह उत्तीर्ण हो जाता, छात्रवृत्ति अगले शैक्षणिक वर्ष के लिये स्वीकृत की जा सकेगी।

7.4 यदि किसी विश्वविद्यालय/संस्था के विनियमों के अनुसार कोई छात्र अगली उच्च कक्षा में चढ़ा दिया जाए, भले ही वह निचली कक्षा में वस्तुत: उत्तीर्ण न हुआ हो और उसे कुछ समय बाद फिर निचली कक्षा की परीक्षा आवश्यक हो तो वह उस कक्षा के लिए छात्रवृत्ति का हकदार होगा जिसमें वह चढ़ा दिया गया है, यदि छात्र अन्यथा रूप से छात्रवृत्ति का पात्र हो।

8. भुगतान–

8.1 अनुरक्षण भत्ता एक अप्रैल या प्रवेश के माह से जो भी बाद में हो उस माह तक जिसमें शैक्षणिक वर्ष के अन्त में परीक्षायें समाप्त हो, भुगतान योग्य हैं (छुट्टियों में पोषण व्यय सहित) परन्तु यदि छात्र किसी माह के 20 दिन बाद प्रवेश पाता है तो स्वीकृति भुगतान प्रवेश के माह के अगले माह से की जायेगी।

8.2 पिछले वर्ष में दी गई छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के मामले में अनुरक्षण भत्ते का भुगतान उस माह के बाद से किया जाएगा जिस तक पिछले वर्ष में छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चुका था, यदि अध्ययन लगातार चल रहा हो।

8.3 सभी विद्यार्थियों से अनुरक्षण भत्ते में से पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि खरीदने की अपेक्षा की जाती है। यदि संबंधित संस्था प्रमुख को यह पता चले कि छात्र के पास पाठ्य–पुस्तके लेखन–सामग्री आदि नहीं हैं तो छात्रवृत्ति स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के विवेकानुसार छात्रवृत्ति की राशि कम की जा सकेगी।

8.4 छात्रवृत्ति का वितरण पूर्णत: आर.टी.जी.एस. के माध्यम से विद्यार्थियों के खाते में किया जायेगा तथा शिक्षण शुल्क संस्था के खाते में सीधे जमा होगा।

8.5 कक्षा 11 वीं एवं कक्षा 12 वीं के विद्यार्थियों की पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण का दायित्व वित्तीय वर्ष 2013–14 से स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा गया है जिनकी छात्रवृत्ति का भुगतान पिछड़ा वर्ग राज्य छात्रवृत्ति योजना मद में किए गए प्रावधान से किया जाएगा अतएव कक्षा 11 वीं एवं कक्षा 12 वीं के छात्रों को छोडकर पोस्टमेट्रिक कक्षाओं के शेष छात्रों का भुगतान पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति योजना के बजट प्रावधान से किया जाऐगा।

8.6 पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की औसत 75 प्रतिशत वार्षिक उपस्थिति एवं वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने की पुष्टि के पश्चात् ही छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावे। छात्रवृत्ति स्वीकृत किए जाने के पूर्व स्वीकृत पाठ्यक्रम की मान्यता, वास्तविक विद्यार्थियों के प्रवेश संस्था की मान्यता का पूर्ण परीक्षण कर लिया जावे एवं यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थी (बीमारी आदि की स्थिति को छोडकर) संबंधित कोर्स की परीक्षा में अनिवार्य रुप से प्रवेश लेवें तथा विद्यार्थियों के भौतिक सत्यापन के उपरांत पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान आर.टी.जी.एस. के माध्यम से संबंधित जिले के सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा किया जावेगा।

9. बी.एड. में अध्ययनरत छात्रों को भी छात्रवृत्ति की पात्रता नियम 5.3 अनुसार ही होगी।

10 छात्रवृत्ति देने के लिए अन्य शर्तें–

10.1 छात्रवृत्ति का दिया जाना विद्यार्थी की संतोषप्रद प्रगति तथा आचरण पर निर्भर करता है। यदि किसी समय संस्था प्रमुख द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कोई छात्र अपने कार्य या चूक के कारण संतोषजनक प्रगति करने में असफल रहा है और किसी कदाचरण का दोषी है जैसे हड़ताल करना या उसमें भाग लेना, संबंधित प्राधिकारी की अनुमति के बिना उपस्थित होने में अनियमितता बरताना आदि, को दोषी पाया गया है तो छात्रवृत्ति स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी या तो छात्रवृत्ति रद्द कर सकेगा या बन्द कर सकेगा या ऐसी अवधि के लिए उसका आगे का भुगतान रोक सकेगा जैसा कि वह उचित समझे।

10.2 यदि यह पता चले कि उम्मीदवार ने मिथ्या कथन द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त की है, तो उसकी छात्रवृत्ति तुरंत रद्द कर दी जायेगी और भुगतान की गई छात्रवृत्ति की राशि राज्य शासन के निर्देशानुसार वसूल की जाएगी। संबंधित विद्यार्थी का नाम काली सूची में दर्ज किया जावेगा और उसे किसी भी योजना में सदैव के लिए छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया जाएगा।

10.3 यदि कोई छात्र अध्ययन पाठ्यक्रम के विषय को बदलता है जिसके लिए मूलतः उसे छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी अथवा राज्य शासन पूर्वानुमोदन के बिना अपनी अध्ययन संस्था को बदलता है तो उसे दी गई कोई भी छात्रवृत्ति निरस्त की जा सकती है। संस्था प्रमुख शासन को ऐसे मामलों की सूचना देगा और छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान बंद कर देगा। पूर्व में भुगतान की गई राशि भी राज्य शासन के विवेकानुसार वसूल की जा सकेगी।

10.4 यदि छात्र अध्ययन वर्ष के दौरान, अपना अध्ययन जिसके लिए उसे छात्रवृत्ति दी गई थी, बन्द कर देता है, तो राज्य शासन के विवेकानुसार वह छात्रवृत्ति की राशि लौटाने के लिए बाध्य होगा।

10

10.5 राज्य सरकार के विवेकानुसार कोई भी विनियम किसी भी समय बदला जा सकता है।

11. आवेदन करने की अंतिम तिथि–

11.1 छात्रवृत्ति के लिए प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा संस्था प्रमुख को प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक अथवा संबंधित कोर्स प्रारंभ होने के 30 दिन के अन्दर जो भी बाद में हो ऐसे निर्धारित प्रारूप में, ऐसे प्रमाण–पत्रों/सहपत्रों सहित ऐसी समयावधि में आवेदन किया जावेगा जो समय–समय पर राज्य शासन द्वारा निर्धारित किये जाए, किन्तु 30 दिसंबर के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

11.2 निर्धारित समयावधि के बाद किये गए आवेदनों या अपूर्ण आवेदनों या निर्धारित प्रमाण–पत्रों/सहपत्रों के बगैर किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

12. आवेदन की प्रक्रिया–

12.1 छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र में निम्नलिखित सम्मलित होना चाहिए–

(क) निर्धारित फार्म में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र की एक प्रति 'नई' तथा नवीनीकृत छात्रवृत्ति के लिए अलग–अलग आवेदन प्रपत्र निर्धारित किए गए है।

(ख) छात्र द्वारा हस्ताक्षर की हुई पासपोर्ट आकार फोटो (नई छात्रवृत्ति के लिए)

(ग) सभी उत्तीर्ण परीक्षाओं से संबंधित डिप्लोमा डिग्री इत्यादि के प्रमाण–पत्रों की एक सत्यापित प्रति।

(घ) प्राधिकृत राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के स्तर से नीचे न हों के द्वारा यथाविधि हस्ताक्षर किया हुआ एक जाति प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।

(ड) माता–पिता/अभिभावक द्वारा सभी स्त्रोतों से आय बतलाते हुए आय की घोषण एवं आय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।

(च) आवेदन पत्र से संलग्न फार्म में संबंधित संस्थान के प्रधान द्वारा यथाविधि प्रति हस्ताक्षर की गई छात्रवृत्ति की प्राप्ति की रसीद यदि आवेदक ने इस योजना के अन्तर्गत पूर्ववर्ती वर्ष में छात्रवृत्ति प्राप्त की हो।

12.2 सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र, अभ्यर्थी जिस संस्थान में अध्ययन कर रहा है या अध्ययन कर चुका है के प्रधान को प्रस्तुत किए जाए तथा विद्यार्थी से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार उनके द्वारा इस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट अधिकारी को संबोधित किए जाए।

12.3 अपूर्ण या निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

पदमा रोकड़े

(पदमा रोकड़े)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

(11)

पृ0क्र0 एफ –12–01/11/54–1 भोपाल दिनांक 12/12/2013

प्रतिलिपि :–

1– सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली.
2 – निज सचिव माननीय मंत्री जी, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
3 – अपर मुख्य सचिव,मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
4 – आयुक्त,पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण,सतपुड़ा भवन भोपाल।
5– प्रबंध संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम,श्यामलाहिल्स भोपाल।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, म0प्र0शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग/तकनीकी शिक्षा विभाग/अनुसूचितजाति कल्याण विभाग/आदिम जाति कल्याण विभाग/आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा शिक्षा विभाग ।
7– समस्त कलेक्टर्स, मध्यप्रदेश।
8– समस्त सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण म0प्र0।
9 – समस्त महाप्रबंधक, जिला व्यापार उद्योग केंद्र, म0प्र0।
10 – आयुक्त जनसंपर्क विभाग।
11 – स्टॉक फाईल.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल–462004
---000---

आदेश

भोपाल, दिनांक 21/09/2016

क्रमांक एफ 12–1/2011/54–1, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12.012.2013 द्वारा प्रतिस्थापित पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति विनियम 2013 के नियम क्रमांक 8 भुगतान– अंतर्गत कंडिका 8.4 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

"पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत संपूर्ण स्वीकृत छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता+शिक्षण शुल्क+अन्य व्यय) का भुगतान सीधे विद्यार्थियों के एकल बैंक खाते में किया जायेगा।"

मध्यप्रदेश राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(गिरीश कुमार नेगी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक एफ 12–1/2011/54–1,
भोपाल, दिनांक 21/09/2016

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव समन्वय, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, म0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग/तकनीकी शिक्षा विभाग/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग/आदिम जाति कल्याण विभाग/आयुष विभाग।
4. आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण।
5. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
6. समस्त सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, म0प्र0।
7. आयुक्त, जनसंपर्क, म0प्र0।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

(13)

परिशिष्ट - 1

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल-462004
—000—

क्रमांक/03/1374/2016/54-1, भोपाल, दिनांक 05/10/2016

प्रति,

आयुक्त,
पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण,
सतपुडा भवन, भोपाल।

विषय:- भारत सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति।

संदर्भ:- 1. म0प्र0 शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का आदेश क्रमांक/एफ-12-04/2015/54-1, दिनांक 26.06.2015

2. म0प्र0 शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का आदेश क्रमांक/773/2015/54-1, दिनांक 09.09.2015

—000—

शासन द्वारा संदर्भित पत्रों के माध्यम से जारी आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

भारत सरकार द्वारा संचालित संस्थानों एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रदेश के अध्ययनरत नियमानुसार पात्रता रखने वाले पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में विद्यार्थियों द्वारा देय पूरी फीस की प्रतिपूर्ति की जायेगी। विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावको की वार्षिक आय सीमा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की मान्य की जाये जो कि वर्तमान मे रूपये 1.00 लाख वार्षिक निर्धारित है।

ऐसी छात्रवृत्ति स्वीकृत किये जाने पर अतिरिक्त व्यय भार की पूर्ति भारत सरकार की योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि से की जायेगी।

5/10/2016

(मीनाक्षी मालवीया)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक /1374/2016/54-1, भोपाल, दिनांक /10/2016

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग म.प्र.।
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
3. सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण जिला समस्त।
4. आर्डर बुक/स्थापना सहायक।

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Sd/-
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

(14)

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल
—::आदेश::—

भोपाल, दिनांक 5/7/2017

विभागीय आदेश कमांक एफ 12—01/2011/54—1, दिनांक 12/12/2013 राज्यशासन एतद् द्वारा प्रतिस्थापित पिछड़ा वर्ग पोस्ट—मैट्रिक छात्रवृत्ति विनियम 2013 के नियम कमांक 5 छात्रवृत्ति की रकम अंतर्गत कंडिका 5. 3 फीस में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है —

"विद्यार्थियों को नामांकन/पंजीयन, शिक्षण, खेलकूद, यूनिफार्म, पुस्तकालय, पत्र—पत्रिकाएं, चिकित्सा—जांच फीस का तथा शैक्षणिक संस्था या विश्वविद्यालय/मंडल को विद्यार्थी द्वारा अनिवार्य रूप से दी जाने वाली ऐसी अन्य फीस का भुगतान किया जाएगा, परन्तु इसमें अवधान राशि, प्रतिभूति जमा जैसी वापसी योग्य जमा रकम में शामिल नहीं होगी एवं यह फीस उसी सीमा तक देय होगी जो किसी शासकीय संस्था (कॉलेज)/शासकीय विश्वविद्यालय में उसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी से ली जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(अशोक कुमार मालवीय)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक
कल्याण विभाग

पृ0 कमांक एफ 12—01/2011/54—1 भोपाल, दिनांक 5/7/2017
प्रतिलिप :—

1. निज सचिव, माननीय मंत्री म.प्र. शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण म0प्र0, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त सहायक संचालक/प्रभारी अधिकारी, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण जिला समस्त।
5. आर्डर बुक्/स्थापना सहायक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक
कल्याण विभाग